तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी औमप्रकाश पुत्र श्री रामनारायण काबरा नि.वकील कालोनी भील़वाड़ा ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा मे आ.न.1493/721 रकबा 18 बिश्वा स्थित है । फतहलाल पिता रामरतन का निधन हो गया है फतहलाल ने अपना हक व हिस्सा रामनारायण के पक्ष मे वसीयत कर दी । रामनारायण जी की भी मृत्यु हो गई है। जिनका एक मात्र वारिस प्रार्थी है , राजमल पिता भूरालाल महाजन ने उक्त विवादित आराजी मे अपना 1/4 हिस्सा रामनारायण जी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी थी । इस प्रकार उक्त आराजी का प्रार्थी तन्हा मालिक व खातेदार है । प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की विवादित आराजी सं.1493/721 का अंकन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा राजस्व नक्शे मे 1493/721 के स्थान पर 1442/721 गलत तरीके से दर्ज कर दिया । अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे मे आराजी सं.1442/721 के स्थान पर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की विवादित आराजी संख्या 1493/721 दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गयी। तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक /भू.अ./2025/3174 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि ग्राम बिलियाखुर्द के आराजी संख्या 1493/721 जमाबंदी सं.2069-2072 के खाता संख्या 167 मे फतहलाल पिता रामरतन सा.उदयपुर रामनारायण पुत्र हजारीमल 3/4 भीलवाड़ा राजमल पुत्र भूरालाल 1/4 सा.सांगवा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है । प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार नही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड को अद्यतन करावे। उभयपत्र अधिवक्ता की बहस का मनन व चिंतन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रथमदृष्टया पोषणीय नही है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। 27/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	